कार्यालय :–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

क्रमांक / जि.वि.से.प्रा. / 2026 / 01

दिनांक :– 12.01.26

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक F-2 (37) / रालसा / DS-I/20000-35 दिनांक 24.11.2021 में दिये गये निर्देश एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की नवीन एसओपी दिनांक 01.12.2025 के अनुसार पैरा लीगल वॉलंटियर्स के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है ।

रिक्तियों का विवरण

कार्यालय का नाम	रिक्तियों की संख्या
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द	9
तालुका विधिक सेवा समिति, नाथद्वारा	3
तालुका विधिक सेवा समिति, भीम	2
तालुका विधिक सेवा समिति, देवगढ़	2
तालुका विधिक सेवा समिति, आमेट	3
तालुका विधिक सेवा समिति, कुंभलगढ़	1
तालुका विधिक सेवा समिति, रेलमगरा	0
कुल	20

(1) शैक्षणिक योग्यता एवं आयु :– आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 21 वर्ष या उससे ज्यादा हो।

(2) आवेदन पत्र :– इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा ।

(3) चयन– आवेदकों का प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए उनका साक्षात्कार लिया जायेगा तत्पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् उन्हे प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी. माना जाकर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा। सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा ।

(4) चरित्र – आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बन्धी न हो।

ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(5) शारीरिक योग्यता – आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए ।

(6) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :–

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
3. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
4. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो
5. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
6. आवेदक द्वारा जिस पंचायत समिति के लिये आवेदन किया जा रहा है तो उस पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार आने वाले गांव का स्थानीय निवासरत होने का सत्यापन के संबंध में आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति।
7. किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होने का स्व–प्रमाणित शपथ–पत्र।
8. 02 लिफाफे 10 गुणा 24 सेमी आकार के 5/– रूपये के डाक टिकट व स्वंय के पूर्ण पते सहित।
9. बैंक पास बुक (आधार से लिंक खाते की) स्व प्रमाणित प्रति।

(7) आवेदन की अन्तिम तिथि – आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/01/2026 को सायं 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तालुका स्तर के आवेदनकर्ता तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय पर भी आवेदन जमा करवा सकते है। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियॉ अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(8) पात्रता –पी.एल.वी.चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उन्हे शोर्ट लिस्टिंग कर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जायेगा । पी. एल.वी.चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के सम्बन्ध में भी सुनिश्चित किया जायेगा व महिलाओं

तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी। निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी.की चयन हतु आवेदन कर सकते है :—

सेवानिवृत अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डब्ल्यू., छात्र व अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजीशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लॉयर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ., क्लबस, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे ।

(9) पीएलवी कार्य के दिन व घंटे— कार्य के दिन— 21 दिन (रविवार, दूसरा व चौथा शनिवार, सरकारी व स्थानीय अवकाश शामिल), कार्य के घंटे— 6 घंटे

(10) चयनित पी.एल.वी.के कर्तव्य (ड्यूटी)

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना ।
2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना ।
3. पी.एल.वी.द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना ।
4. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व दं.प्रं.सं.की धारा 357—ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना ।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वाराअधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना ।
6. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार सम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना ।
7. विवादों का सेटलमेंट, लोक अदालत, मध्यस्थता, के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना ।
8. पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यकमों व शिविरों की जानकारी देना ।
9. पी.एल.वी.द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, बीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते है ।
10. पी.एल.वी.द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना ।

11. शिविर के पश्चात् तीन से चार घंटे कैनोपी लगाकर आमजन को विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे।
12. गांवो और वार्डों में घर–घर जाकर मुलाकातें करें, शिविर लगाएंगे एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
13. लीगल एड क्लिनिक, फ्रंट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कानूनी सहायता केंद्र, लोक अदालतें और जेल कानूनी सहायता क्लिनिक में सहायता करना।

(11) स्पष्टीकरण :– यहां स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी.के कार्य हेतु इच्छुक अंकित करना आवश्यक है । आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदन किस स्थान अर्थात् जिला स्तर पर या तालुका स्तर पर पी.एल.वी.का कार्य करना चाहता है ।

(12) प्रत्येक तालुका के क्षेत्राधिकार में स्थित पंचायत समिति के स्थानीय निवासरत व्यक्तियों को ही जो अलग–अलग गांव के निवासी हो, को पैनल में चयनित किया जायेगा। स्थानीय निवासी ना मिलने पर पड़ौस की पंचायत समिति के निवासी के आवेदन पर विचार किया जायेगा।

(13) पूर्व में कार्यरत कोई पीएलवी जो वर्तमान पैनल में नहीं है तथा पुनः कार्य करने का इच्छुक हो तो वह भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

(14) <u>भुगतान</u> – पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के रूप में उनका चयन किया जायेगा जो इसे आय का साधन समझकर नहीं आना चाहतें। चयन किए जाने वाले व्यक्ति में जरूरतमंदों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए तथा शोषित और वंचित तबके के लिए करूणा, सहानुभूति तथा उनकी स्थिति बेहतर करने का संकल्प होना चाहिए। पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय (Honorarium) राशि (750 रूपये प्रतिदिन) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वेतन (Salary), प्रोत्साहन राशि (Remuneration) अथवा मजदूरी (Wages) देय नहीं होगी।

नोट :– आवेदन कर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करे ।

नोटः– आवेदन प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद, तालुका विधिक सेवा समिति, नाथद्वारा, भीम, देवगढ़, रेलमगरा, आमेट, कुंभलगढ़ कार्यालय से प्राप्त कर सकते है या जिला न्यायालय, राजसमंद की बेवसाइट ecourt rajsamand से भी डाउनलोड कर सकते है।

नोट :– साक्षात्कार की दिनांक पृथक से समाचार पत्र/जिला न्यायालय, राजसमंद की बेवसाइट ecourt rajsamand पर जारी कर दी जावेगी।

सचिव
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राजसमन्द

क्रमांक :– 260–297
दिनांक :– 12.01.26

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

2 श्रीमान् जिला कलक्टर, राजसमन्द

3 अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, राजसमन्द

4 अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति
नाथद्वारा / भीम / देवगढ़ / रेलमगरा / आमेट / कुंभलगढ़

5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, राजसमन्द

6 तहसीलदार,
नाथद्वारा / भीम / देवगढ़ / रेलमगरा / आमेट / कुंभलगढ़

7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द

8 प्राचार्य, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द

9 विकास अधिकारी, पंचायत समिति
नाथद्वारा / भीम / देवगढ़ / रेलमगरा / आमेट / कुंभलगढ़

10 उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजसमन्द

11 उपनिदेषक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजसमन्द

12 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजसमन्द

13 आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द

14 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), राजमसन्द

15 जिला रोजगार अधिकारी, राजसमन्द

16 रेडक्रास सोसाइटी, राजसमन्द / भारत विकास परिषद्, राजमसन्द / महिला मंच, राजमसन्द / महावीर इन्टरनेशनल, राजसमन्द / सेन्टर रूलर डवलपमेन्ट, राजसमन्द

17 नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

18 नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला एवं सेषन न्यायाधीष, राजसमन्द

19 सिस्टम मेनेजर, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

सचिव
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राजसमन्द

पैरा लीगल वॉलन्टीयर्स (पी.एल.वी.) के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम आवेदक	:	अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो
2. पिता / पति का नाम	:	
3. आवेदक के पति / पत्नी का नाम	:	
4. जाति	:	
5. संवर्ग–सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें)	:	
6. स्थायी पता मय दूरभाष / मोबाइल नम्बर	:	
7. वर्तमान पता	:	
8. निकटतम पुलिस स्टेशन	:	
निकटतम पंचायत समिति का नाम	:	
ग्राम पंचायत का नाम	:	
9. जन्म तिथि (अंको में)	:	
(शब्दों में)	:	
वर्तमान आयु	:	
10. शैक्षणिक योग्यता	:	
11. यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है,तो किस पद से सेवानिवृत हुए	:	
12. आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं यदि है तो पूर्ण विवरण	:	
13. राष्ट्रीयता	:	

14. आवेदक पीएलवी के रूप में स्वेच्छा से कार्य करने हेतु तैयार है: 1. राजसमन्द मुख्यालय 2. ताल्लुका 3 .पंचायत समिति............................

15. आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, N.G.O.या किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण लिखें : ....
....

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं .... सत्यापित करता / करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है ।

दिनांक : (आवेदक के हस्ताक्षर)